



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी असलम को हुई 05 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त असलम पुत्र अनीस निवासी ग्राम गुराना थाना बड़ौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना रमाला पर मु0अ0सं0 356/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11.12.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त असलम को हुई 05 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत


थाना बडौत

दिनांक 11.12.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 815/24 धारा 109/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.12.2024 को वादी श्री राजेश कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.अंकुर पलडिया निवासी गुराना रोड कस्बा बडौत 2.अभिषेक निवासी ग्राम सादुल्लापुर थाना बडौत 3.शिवा निवासी अज्ञात व 4.अन्य व्यक्ति के द्वारा उसके साथी अक्षय व उसके दोस्त शुभम व जितेन्द्र के ऊपर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई, जिसमें उनके पैर में गोली लग गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 815/24 धारा 109/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 815/24 धारा 109/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम पता:


अभिषेक पुत्र जवाहर सिंह निवासी ग्राम सादुल्लापुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनियाँ थाना बडौत ।
- 2-म0उ0नि0 गायत्री राजपूत थाना बडौत ।
- 3-है0का0 542 अशोक कुमार थाना बडौत ।
- 4-का0 621 प्रदीप कुमार थाना बडौत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 11.12.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 231/24 धारा
191(2)/125/121(1)/132 बीएनएस व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों
को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10-12-
2024 को थाना
चांदीनगर पुलिस
को डालय-112 के
माध्यम से सूचना
प्राप्त हुई कि ग्राम



खट्टा प्रहलादपुर से मेहरमपुर जाने वाली नहर पटरी पर दो पक्ष जमीनी विवाद को लेकर आपस में लाठी-डण्डों से एक दूसरे से झगडा व वाद-विवाद कर रहे हैं । इस सूचना पर थाना चांदीनगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा दोनों पक्षों को पुलिस व जनता के लोगों द्वारा समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, नहीं माने और झगडा करने लगे । इस सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 231/24 धारा 191(2)/125/121(1)/132 BNS व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 231/24 धारा 191(2)/125/121(1)/132 बीएनएस व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सौरभ पुत्र स्व0 नेपाल निवासी ग्राम मेहरामपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-गौरव पुत्र स्व0 नेपाल निवासी ग्राम मेहरामपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-महीपाल पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम मेहरामपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-अभिषेक पुत्र महीपाल निवासी ग्राम मेहरामपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -



- 1-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-का0 1065 आलोक कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-का0 883 उमाशंकर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 5-का0 1103 संजय कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनाँक-11.12.2024

थाना दोघट पुलिस ने 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-संजीव पुत्र नाहर सिंह निवासी ग्राम झुण्डपुर थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-कुलदीप पुत्र देवकरण निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-धर्मपाल पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-लियाकत पुत्र मजीद निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 5-राजकुमार पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम सरौरा थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 6-विनोद कुमार पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 7-पुष्पेन्द्र पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना दोघट पुलिस टीम जनपद बागपत ।



BAGHPAT POLICE



थाना खेकडा

दिसम्बर 2024

थाना खेकडा बागपत द्वारा जनता के खोये हुए 21 मोबाईल फोन (कीमत लगभग 03 लाख रुपये) को बरामद कर उनके स्वामियों को किया सुपुर्द:-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बागपत श्री अर्पित विजयवर्गीय द्वारा जनता के खोये हुए मोबाईल के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर थाना खेकडा को गुमशुदा मोबाईल फोन की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में थाना खेकडा की टीम द्वारा कठिन परिश्रम करते हुए जनपदीय, गैरजनपदीय व गैर प्रान्तों से कुल 21 विभिन्न कम्पनियों के मल्टी मीडिया मोबाईल फोनों को बरामद करने में महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई, बरामद किए गए मोबाईल फोनों की कुल कीमत लगभग 03 लाख रुपये है । बरामद मोबाईल फोनों को



प्र0नि0 महोदय थाना खेकडा द्वारा आज दिनांक 11.12.2024 को थाना खेकडा परिसर में उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया ।

कुल बरामदगी:-

- 07 विभिन्न कम्पनियों के मल्टीमीडिया मोबाईल फोन (कीमत लगभग 03 लाख रूपये)

बरामद मोबाईल फोन का विवरण:-

क्र0सं0	कम्पनी का नाम	संख्या
01	वन प्लस	02
02	पोको	02
03	वीवो	03
04	रियल मी	04
05	रेडमी	02
06	ओप्पो	07
07	मोटरोला	01
कुल मोबाइल फोन		21

बरामद करने वाली टीम:-

- 1-प्र0नि0 श्री कैलाशचन्द्र थाना खेकडा ।
- 2-का0 428 गौरव कुमार थाना खेकडा ।
- 3-का0 956 राजदीप सिंह थाना खेकडा ।
- 4-का0 519 वरुण सिंह मोदी थाना खेकडा ।
- 5-का0 1064 मंयक यादव थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनांक 11.12.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान ट्रान्सफॉर्मर का तेल व सामान चोरी करने वाले 04 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किए 03 ट्रांसफार्मर की कॉपर की कोईल, एक केन जिसमें ट्रांसफार्मर का 12 लीटर तेल व चोरी करने में प्रयुक्त औजार चाबी, पाने, आरी, अवैध कटर, छैनी एवं टी-स्पेनर व एक अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी वैगनार नं0 HR-55AU-9985 बरामद

।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान ट्रान्सफॉर्मर का तेल व सामान चोरी करने वाले 04 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किए



03 ट्रांसफार्मर की कॉपर की कोईल, एक केन जिसमें ट्रांसफार्मर का 12 लीटर तेल व चोरी करने में प्रयुक्त औजार चाबी, पाने, आरी, अवैध कटर, छैनी एवं टी-स्पेनर व एक अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी वैगनार नं0 HR-55AU-9985 बरामद हुई है । के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 429/24 धारा 317(2)/317(5)/313 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-कमल पुत्र महीपाल निवासी खरखडी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 2-अमन पुत्र आकिल निवासी गुलावटी थाना गुलावटी जनपद बुलंदशहर
हाल निवासी चिरोड़ी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 3-आमिर पुत्र जमील निवासी गुलावटी थाना गुलावटी जनपद बुलंदशहर
हाल निवासी चिरोड़ी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 4-राशिद पुत्र शरीफ निवासी गुलावटी थाना गुलावटी जनपद बुलंदशहर
हाल निवासी चिरोड़ी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- 03 ट्रांसफार्मर की कॉपर की कोईल (संबंधित मु0अ0सं0 2348/24 धारा 136 भारतीय विद्युत अधिनियम थाना एंटी थेफ्ट जनपद बागपत)
- एक केन जिसमें ट्रांसफार्मर का 12 लीटर तेल ।
- चोरी करने में प्रयुक्त औजार चाबी, पाने, आरी, अवैध कटर, छैनी एवं टी-स्पेनर ।
- एक अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी वैगनार नं0 HR-55AU-9985

गिरफ्तार अभियुक्त कमल का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 136/23 धारा 395/412/427 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 2-मु0अ0सं0 306/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार अभियुक्त आमिर का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 58/22 धारा 323/498ए/506 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना चण्डौस जनपद अलीगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना खेकड़ा ।
- 2-है0का0 292 सिराज थाना खेकड़ा ।
- 3-है0का0 442 मौ0 आफाक थाना खेकड़ा ।
- 4-है0का0 45 अरुण थाना खेकड़ा ।
- 5-है0का0 337 अमित कुमार थाना खेकड़ा ।

6-है0का0 652 मोहित कुमार थाना खेकड़ा ।

7-का0 250 कोमल थाना खेकड़ा ।

8-का0 750 शेखर कुमार थाना खेकड़ा ।

